तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेश भाटी बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 110/2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.22	अपीलार्थी सुरेश भाटी पुत्र स्व. श्री अभय सिंह भाटी निवासी भाटी चौराहा, मगरा पूंजला, मंडोर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2022 में उसके द्वारा (1) गांव चैनपुरा मंडोर, जोधपुर के खसरा न. 524 की आज दिनांक की खसरा रिपोर्ट की सत्यापित प्रति (2) अन्य बिन्दूओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध [illegible] अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की [illegible] संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.24 18:20:20 IST
Reason: SelfAttested